19.9.23 कोई पक्षकार उपस्थित नही हुआ।

पत्रावली पेश हुई। माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.09.22 मे न्यायालय द्वारा ~~क~~ मे उभयपक्ष को दिनांक 14.11.2022 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया बावजूद इसके वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। न्यायालय द्वारा कक्ष-कक्ष पर तीन बार आवाज लगवाई गई बावजूद इसके उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R 11 एवं प्रस्तुत दस्तावेज प्रति का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रा.पत्र में अंकन किया है कि वादीगण ने अपने नाम 1/10-1/10 हिस्से की खातेदारी घोषणा जारी गई थी, उक्त वादीगण ने अपने 1/10-1/10 हिस्से की रिलीज डीड प्रतिवादी 3 मंगीलाल के पक्ष में कर दी गई है। प्रस्तुत रिलीज डीड की फोटो प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने हिस्से की रिलीज डीड प्रतिवादी 3 के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन करा दी गई है जिससे वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का कोई हिस्सा नही रहता है।

अतः वादीगण को पर्याप्त अवसर दिए जाने ~~एवं~~ के बाद उपस्थित नही होने से एवं उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद कारण नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय जेरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नत्थी ~~रिकार्ड~~ हो।

प्रतिलिपि करें

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा-उदयपुर